कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नस्ती क्रमाक 117/2016एलए

क्रमांक /117/2016/एलए/4332

खण्डवा, दिनांक 21/03/2017

:: अधिसूचना ::

कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा पत्र क्रमांक 6530/तशा/मार्ग/हनुवंतिया टापू/2016 खंडवा दिनांक 13.12.2016 बांगरदा –हनुवंतिया पहचमार्ग 16.20 कि.मी निर्माण हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रं. 30 सन् 2013) के अध्याय –2 (अ) धारा–4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित है। प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहिण पर्यटन स्थल के पहुच मार्ग के निर्माण हेतु किया जा रहा है। जिससे क्षेत्र की आम जनता तथा पर्यटकों को लाभ होगा। प्रस्तावित भमि के अर्जन से कोई परिवार/कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है। भूमि अर्जन लोकहित प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। प्रस्तावित निर्माण लोकहित में होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ–16–15(1)/2014 –सात–2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं **स्वाति मीणा नायक, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन,** विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु , 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय–2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :–

अ. क्रं.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)		सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6		7
1	खण्डवा	तहसील–पुनासा	55	बिजोरामाफी	कृषि भूमि	1.360	बांगरदा–हनुवंतिया पहुच मार्ग 16.20 कि.मी. निर्माण कार्य हेतु
					आवासीय भूमि	0.650	
				योग	2.01		

नोट :–1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. भूमि का नक्शा(प्लान)अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पुनासा एवं के कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(स्वाति मीणा नायक)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म0प्र0)